न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 159/2011 (डूंगरपुर डिक्री)

1. श्रीमती शारदा पत्नी प्रेमकृष्ण हंगात मीणा, निवासी इन्द्रानगर, मकान नंबर 166, न्यू हॉस्पिटल के पास, डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
2. संजय पिता प्रेमकृष्ण हंगात मीणा, निवासी इन्द्रानगर, मकान नंबर 166, न्यू हॉस्पिटल के पास, डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (नाम अबेट)
3. धनप्रकाश पिता प्रेमकृष्ण हंगात मीणा, निवासी इन्द्रानगर, मकान नंबर 166, न्यू हॉस्पिटल के पास, डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
4. सुश्री पिंकी प्रेमकृष्ण हंगात मीणा, नाबालिग जरिये प्राकृतिक वली माता श्रीमती शारदा पत्नी प्रेमकृष्ण हंगात मीणा, निवासी इन्द्रानगर, मकान नंबर 166, न्यू हॉस्पिटल के पास, डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. प्रेमकृष्ण पिता दौलतसिंह जी हंगात मीणा, निवासी नई बस्ती, डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
2. रमेश पिता भेरा ननोमा मीणा, निवासी धोवालिया
3. राजेश पिता दौलतसिंह जी हंगात मीणा, निवासी नई बस्ती, डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
4. राकेश पिता दौलतसिंह जी हंगात मीणा, निवासी नई बस्ती, डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री एस. भटनागर अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री एल. एल. जैन अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट 2

3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5

———::———

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान

काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व

डिक्री उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

दिनांक 27.04.2011, प्र. सं. 16/06

———::———

निर्णय **दिनांक 29–08–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलान्टगण द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डूंगरपुर के खसरा नंबर 699 रकबा 17 बिस्वा भूमि श्री दौलतसिंह ने खातेदार धनजी पिता लालू मीणा से जरिये ईकरारनामा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, किन्तु रजिस्ट्री खर्च की व्यवस्था नहीं होने से बाद में रजिस्ट्री कराना तय हुआ। सन् 1982 में दौलतसिंह जो वादीगण के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 के पिता थे, का स्वर्गवास हो गया, जिससे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादिया संख्या 1 सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी करती है, जिससे विक्रय पत्र की रजिस्ट्री कराने हेतु रूपयों की व्यवस्था कर प्रतिवादी प्रेमकृष्ण जो कि दौलतसिंह का पुत्र है के नाम खसरा नंबर 699 की रजिस्ट्री दिनांक 13–03–1990 को करायी। यह भूमि श्री दौलतसिंह द्वारा क्रय की गयी तथा भूमि का मूल्य दौलतसिंह जी द्वारा ही अदा किया गया था। वादीगण दौलतसिंह के पोते एवं पुत्र वधु होने से उनका भी जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने सरोज नाम की औरत को रखैल बनाकर रखा तथा वादीया को छोड़कर दूसरी औरत के साथ रहता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की जानकारी के बिना तथा बिना सहमति के प्रतिवादी संख्या 2 को 3,72,000/– रूपये में दिनांक 08–12–2005 को विवादित भूमि का विक्रय कर रजिस्ट्री करा दी, किन्तु कब्जा सिपुर्द नहीं हुआ एवं कब्जा वादीगण का ही चला आ रहा है, जिससे उक्त विक्रय पत्र वादीगण के मुकाबले शून्य व बेअसर है। अतएवं विवादित आराजी नंबर 699 का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 3 तनकियां कायम की गयी :–

1. क्या वादिया खसरा नंबर 699 रकबा 17 बिस्वा पर काबिज है तथा भूमि पुश्तैनी होकर वादिया खातेदारी हक की घोषणा की पात्र है ?... वादीगण

2. क्या भूमि पुश्तैनी न होकर प्रतिवादी द्वारा स्वअर्जित भूमि है तथा वादिया का कब्जा न होने से खारिज योग्य है ? ..... प्रतिवादी

3. अनुतोष क्या होगी ?

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 27–04–2011 से तनकीवार विवेचन करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट वादीगण/अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 03–08–2011 को पेश की गयी।

नकल देने में हुए विलम्ब के दृष्टिगत अपील अन्दर मयाद मानी जाकर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से एल.एल. जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। दौराने कार्यवाही अपीलान्ट संख्या 2 की नाम कायमी समय पर नहीं करवाये जाने से अपीलान्ट संख्या 2 के विरूद्ध कार्यवाही अबेट की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों के लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को त्रुटि पूर्ण बताते हुए निरस्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को सही बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिये कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड एवं उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को समझने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड में मौजूद साक्ष्य के विपरीत भूमि के कब्जे के लिए कायम तनकी नंबर 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित करने में त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इकराने पर कोई विवेचन नहीं किया है। विवादित भूमि पर कब्जा वादीगण का चला आ रहा है, जिसे नहीं मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने त्रुटि पूर्ण निर्णय किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन का बहस पर मनन किया गया पाया तो यह पाया कि प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट

संख्या 1 के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विवादित भूमि दर्ज हुई है। भूमियां दौलतसिंह जी द्वारा क्रय की गयी हों अथवा दौलतसिंह ने राशि अदा की हो, तो इस बाबत् इकरारनामा प्रस्तुत हुआ है, परन्तु राजस्व न्यायालय में इकरार का कोई महत्व नहीं है तथा उक्त इकरार से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भूमियों की कीमत दौलतसिंह द्वारा अदा की गयी हो। वकौल अपीलान्ट भूमि दौलतसिंह द्वारा भी क्रय की जाना मानी जावे तो भी हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 अनुसार उसके पुत्र प्रतिवादी प्रेमकृष्ण के जीवनकाल में प्रेमकृष्ण की पत्नी एवं उसके पुत्र–पुत्रियों का कोई हक नहीं बनता है। खातेदार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा भूमियों का रजिस्टर्ड विक्रय रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के पक्ष में किया गया है। पंजीकृत विक्रय पत्र के विरूद्ध अपीलान्ट का कब्जा माने जाने का कोई आधार नहीं है। प्रकरण में हम यह पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कायम शुदा तनकियात पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–04–2011 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 29–08–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती शारदा पत्नी प्रेमकृष्ण हंगात नि. इन्द्रानगर, मकान नंबर 166, न्यू हॉस्पिटल के पास, डूंगरपुर व अन्य बनाम **प्रेमकृष्ण पिता दौलतसिंह हंगात मीणा निवासी नई बस्ती, डूंगरपुर तहसील व जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं.....**159 / 2011**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**डूंगरपुर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....27**.....माह.....**04**.....**2011**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**29**.....माह.....**08**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी... **श्री एस. भटनागर** ....मिनजानिब अपीलान्ट व ..... **श्री एल. एल. जैन**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–04–2011 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**29**.....माह.....**08**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।